न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी मुकुट सिंह आर0ए0एस

वाद सं0 164/2022

1. पेमाराम पुत्र नारायणलाल जरिये
   1/1– अभिषेक चौधरी पुत्र सुखाराम
   1/2– भंवरलाल पुत्र सुखाराम
2. गुल्लाराम पुत्र नारायणलाल
3. रामकरण पुत्र नारायणलाल
4. सुखाराम पुत्र नारायणलाल समस्त जाति जाट नि0 झाझडो की ढाणी आसलपुर तह0 जोबनेर जि0 जयपुर।

वादी

बनाम

1. लादूराम पुत्र दौलतराम जाति कुम्हार निवासी 268 जगदम्बा नगर बी–200 फीट बाईपास अजमेर रोड, जयपुर राज0
2. झूंथाराम पुत्र दौलतराम जाति कुम्हार निवासी जानकी विहार जि–1 गिरधारीपुरा अजमेर रोड जयपुर फौत जरिये कायम मुकामानः–
   2/1–रामलाल पुत्र स्व0झूंथाराम
   2/2–पोखरमल पुत्र स्व0झूंथाराम
   2/3–हरीश पुत्र स्व0झूंथाराम
   2/4–संजय पुत्र स्व0झूंथाराम नाबालिक जरिये माता सीतादेवी
   2/5–कविता पुत्री स्व0झूंथाराम नाबालिक जरिये माता सीतादेवी
   2/6–सीतादेवी पत्नि स्व0 झूंथाराम
   समस्त जाति कुम्हार निवासी जानकी विहार जी–1 गिरधारीपुरा अजमेर रोड, जयपुर राजस्थान।
3. शंकरलाल पुत्र दौलतराम जाति कुम्हार नि0सी–107 लक्ष्मीविहार कॉलोनी सी– ब्लॉक मीनावाला सिरसी रोड जयपुर।
4. रामकरण पुत्र भूरा जाति जाट नि0 आसलपुर तह0 जोबनेर जिला जयपुर–फौत जरिये कायम मुकामान–
   4/1– कानी देवी पत्नि स्व0रामकरण
   4/2– जगदीश पुत्री स्व0रामकरण
   4/3– नारायण पुत्र स्व0रामकरण
   4/4– किशनलाल पुत्र स्व0रामकरण
   4/5– लक्ष्मण पुत्र स्व0रामकरण

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

4/6– सकराम पुत्र स्व0रामकरण

समस्त जाति जाट निवासी जोबनेर तहसील जोबनेर, जयपुर राजस्थान।

4/7– केसरदेवी पुत्री स्व0रामकरण पत्नि भोलूराम जाति जाट निवासी नोदलो की ढाणी आसलपुर तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

4/8– मंजूदेवी पुत्री स्व0रामकरण पत्नि रामचन्द्र जाति जाट निवासी मोहन का बास तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर।

4/9– रूकमादेवी पुत्री स्व0रामकरण पत्नि मदनलाल जाति जाट निवासी हिरनोदा तह0 फुलेरा जि0 जयपुर।

4/10– सीतादेवी पुत्री स्व0रामकरण पत्नि प्रभूदयाल जाति जाट निवासी हिरनोदा तह0 फुलेरा जि0 जयपुर।

4/11– लालीदेवी पुत्री स्व0रामकरण पत्नि सरदारमल जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तह0 कि0रेनवाल जि0 जयपुर।

5. रामचन्द्र पुत्र भूरा जाति जाट निवासी आसलपुर तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

6. रामचन्द्र पुत्र हरिनारायण जाति कुमावत नि0 आसलपुर तह0 जोबनेर।

7. तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री लक्ष्मीनारायण कलवाणियां अधिवक्ता वादी

2. श्री सुरेश कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 6

<u>वाद बाबत् विभाजन आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

निर्णय

दिनांकः– 23.10.2024

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि खाता सं0 506 की आराजी ख0न0 670 रकबा 3 बीघा 5 विस्वा, ख0न0 671 रकबा 12 बीघा 17 विस्वा, ख0न0 672 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा, ख0न0 676 रकबा 4 बीघा 16 विस्वा, ख0न0 677 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा, ख0न0 678 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, ख0न0 680 रकबा 5 बीघा 5 विस्वा, ख0न0 681 रकबा 3 बीघा 19 विस्वा, ख0न0 682 रकबा 7 बीघा 5 विस्वा, ख0न0 683 रकबा 5 विस्वा, ख0न0 684 रकबा 3 बीघा 16 विस्वा, ख0न0 685 रकबा 2 बीघा 12 विस्वा, ख0न0 686 रकबा 2 बीघा 9 विस्वा किता कुल रकबा 50 बिघा 12 विस्वा वाकै ग्राम आसलपुर प0ह0 आसलपुर भू0अ0नि0क्षे0 जोबनेर तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0 मे स्थित है। जिसमे वादीगण का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं04 व 5 का उपरोक्त आराजीयात मे संयुक्त 1/2 हिस्सा है जिसमे से ख0न0 681रकबा 3 बीघा 19

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

विस्वा मे से प्रतिवादी सं0 4 व 5 रामकरण, रामचन्द्र ने अपने 1/2 हिस्से मे से 35/79 हिस्सा प्रतिवादी सं0 6 को बेचान कर दिया जिसमे प्रतिवादी सं0 4 व 5 का ख0न0 681 मे केवल मात्र 9/158 हिस्सा है तथा ख0न0 682 मे से 1/29 हिस्सा प्रतिवादी सं0 6 को बेचान कर दिया है जिसमे अब प्रतिवादी सं0 4 व 5 का 27/58 हिस्सा है। इसी प्रकार वादीगण व प्रतिवादी सं01 लगा0 6 काविज काश्त है जिसका विधिनुसार कोई विभाजन नही हो रखा है लेकिन वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 5 ने वादग्रस्त भूमि का वर्षो पूर्व मौके के कब्जे के अनुसार पारस्परिक सहमति से भूमि का विभाजन कर रखा है ओर मौके पर काविज काश्त है तथा उपयोग व उपभोग करते आ रहे है परन्तु वादग्रस्त भूमि का विधि अनुसार विभाजन नही होने से अब प्रतिवादी सं0 1 लगा0 6 की नियत मे फितुर आने लग गया है ओर वे वादीगण को मौके के कब्जे काशत की भूमि से उनको बेदखल कर कब्जा करने की चेष्टा मे रहते है जबकि वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार विधिक रूप से विभाजन करवाने को कहा लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना करते हुये भूमि का विधिक रूप से विभाजन नही करवाया ओर यही कहते रहे कि जब भी गांव मे राजस्व केम्प लगेगा भूमि का विभाजन करवा लेगे जिसके कारण वादीगण प्रतिवादीगण के विश्वास मे चलता रहा। जमीनो की बाजार दर बढ जाने से अब प्रतिवादी सं01 लगा06 की नियत मे फितुर आया हुआ है तथा वे ऐनकेन प्रकारेण वादीगण को उनके मौके के कब्जे काश्त की आराजीयात से बेदखल कर भूमि का बेचान करने पर आमादा है इसी आशय से प्रतिवादी सं01 लगा06 कए राय होकर कुछ भू–माफिया लोगो को साथ लेकर दिनांक 31.08.14 को वादग्रस्त भूमि पर आये ओर वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि को दिखाकर वादग्रस्त भूमि का बेचान करने का सौदा करने लगे जब वादीगण ने उनको ऐसा करने से मना किया ओर वादग्रस्त भूमि का विधिक रूप से विभाजन करवाने को कहा तो प्रतिवादीगण इंकार हो गये तथा मनचाही जगह से भूमि का बेचान करके वादीगण को उनके व हिस्से की मौके पर काबि काश्त की भूमि से बेदखल करने की धमकी दी इसलिए वादीगण को अपने हक व अधिकारो की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत विभाजन आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं01 लगा0 6 की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र कुमार चौपडा ने वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी सं07 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गयी। प्रतिवादी सं02 व 4 की मृत्यु होने पर प्रा0पत्र आर्डर 22 रूल 4 जा0दी0 का पेश

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

किया उक्त प्रार्थपत्र स्वीकार होने पर संशोधित वाद शीर्षक पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी सुखाराम, गवाह हनुमान व हाथी के शपथ पत्र पेश किये। अधिवक्ता वादीगण व प्रतिवादीगण ने वादीगण का वाद प्राथमिक डिकी किये जाने का निवेदन कर आदेशिका पर सहमति के हस्ताक्षर किये। तनकीयात कायम की गयी।

1—आया विवादित आराजी वर्णित मद सं01 वाद पत्र अविभाजित आराजी है जिसका वादीगण मौके के कब्जे के अनुसार विभाजन करवाने के अधिकारी है।

वादीगण

2—आया वादीगण को प्रतिवादीगण विवादित आराजी मे से उनके हिस्से से बेदखल करने पर आमादा है जिनको पाबंद करवाने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादीगण

3—आया वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ इस कारण वादीगण विभाजन करवाने के अधिकारी नही होने से दावा खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादीगण

4—अनुतोष

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2067—2070 पेश की है।

उपस्थित अधिकवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादीगण को सुना गया। वकील पक्षकारान ने प्रकरण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के राजस्व मण्डल के नियम प्रावधानो 18 से 21 अनुसार प्राथमिक डिकी किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानो का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। आराजी खाता सं0 506 की आराजी ख0न0 670 रकबा 3 बीघा 5 विस्वा, ख0न0 671 रकबा 12 बीघा 17 विस्वा, ख0न0 672 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा, ख0न0 676 रकबा 4 बीघा 16 विस्वा, ख0न0 677 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा, ख0न0 678 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, ख0न0 680 रकबा 5 बीघा 5 विस्वा, ख0न0 681 रकबा 3 बीघा 19 विस्वा, ख0न0 682 रकबा 7 बीघा 5 विस्वा, ख0न0 683 रकबा 5 विस्वा, ख0न0 684 रकबा 3 बीघा 16 विस्वा, ख0न0 685 रकबा 2 बीघा 12 विस्वा, ख0न0 686 रकबा 2 बीघा 9 विस्वा किता कुल रकबा 50 बिघा 12 विस्वा वाकै ग्राम आसलपुर प0ह0 आसलपुर भू0अ0नि0क्षे0 जोबनेर तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0 मे स्थित है वस्तुतः प्रकरण कानुनी बंटवारा से संबंधित होने पर वाद बाबत् विभाजन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुरूप प्राथमिक डिकी किया जान न्यायसंगत एवं उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

अतः वादीगण का वाद बावत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनिक डिक्री किया जाकर आराजी खाता सं0 506 की आराजी ख0न0 670 रकबा 3 बीघा 5 विस्वा, ख0न0 671 रकबा 12 बीघा 17 विस्वा, ख0न0 672 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा, ख0न0 676 रकबा 4 बीघा 16 विस्वा, ख0न0 677 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा, ख0न0 678 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, ख0न0 680 रकबा 5 बीघा 5 विस्वा, ख0न0 681 रकबा 3 बीघा 19 विस्वा, ख0न0 682 रकबा 7 बीघा 5 विस्वा, ख0न0 683 रकबा 5 विस्वा, ख0न0 684 रकबा 3 बीघा 16 विस्वा, ख0न0 685 रकबा 2 बीघा 12 विस्वा, ख0न0 686 रकबा 2 बीघा 9 विस्वा किता कुल रकबा 50 बिघा 12 विस्वा वाकै ग्राम आसलपुर प0ह0 आसलपुर भू0अ0नि0क्षे0 जोबनेर तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0 का अलहदा अलहदा किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के तहत सरस नरस, मौके के कब्जे काश्त के अनुसार एवं सभी हेतु सुलभ रास्ता इत्यादि को ध्यान मे रखते हुए उभय पक्षो की उपस्थिति मे नक्शे कुर्रेजात 2 प्रतियो मे मंगवाये जाने का आदेश पारित किया जाता है। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार जोबनेर द्वारा कुरेजात दिनांक 21.06.2022 को न्यायालय में पेश किये गये। उक्त कुरेजात के कुर्रे संख्या 01 में खातेदार अभिषेक चौधरी पुत्र सुखाराम हिस्सा 1/16 एवं खातेदार भंवरलाल पुत्र सुखाराम हिस्सा 3/16 का वर्णन किया गया है। उक्त खातेदार दावा दायरी के समय पक्षकार नहीं थे, इसलिए अधिवक्ता वादी को उक्त खातेदारों को पक्षकार कायम किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। प्रार्थीगण अभिषेक चौधरी पुत्र सुखाराम एवं भंवरलाल पुत्र सुखाराम द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश करने एवं अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर अनापत्ति करने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर उक्त प्रार्थीगण को पक्षकार कायम किया गया तथा संशोधित शीर्षक शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार जोबनरे द्वारा प्रस्तुत कुरेजात दिनांक 21.06.2022 पर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा आपत्ति इस आशय की प्रस्तुत कि गयी कि तहसीलदार जोबनेर द्वारा कुरेजात नहीं बना कर मिन प्रार्थी का रकबा कम करते हुए कुरेजात प्रस्तुत किये गये है। प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति कुरेजात स्वीकार किये जाने पर तहसीलदार जोबनेर को दिनांक 14.06.2024 पुनः नक्शे कुरेजात तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार जोबनेर द्वारा कुरेजात दिनांक 24.09.2024 को न्यायालय में पेश किये गये।

अधिवक्ता उभयपक्षकारान द्वारा वादीगण का वाद दिनांक 24.09.2024 को पेश कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने हेतु सहमति प्रदान की

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया गया। वादी का वाद दिनांक 24.09.2024 को पेश कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

वाकै ग्राम आसलपुर तह0 जोबनेर

क.स	नाम खातेदार	खसरा	रकबा	किस्म	
1	अभिषेक चौधरी पुत्र सुखाराम हि. 1/16 जाति जाट सा.देह खातेदार गुल्लाराम पुत्र नारायणलाल हि.1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार भंवरलाल पुत्र सुखाराम हि.3/16 जाति जाट सा. देह खातेदार रामकरण पुत्र नारायणलाल हि.1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार सुखाराम पुत्र नारायण हि.1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार	683 685 A/682 A/684 A/686 A/671	0.0632 0.6575 1.6490 0.5440 0.1430 0.1427	गै.मु.बाडा बारानी–1 बारानी–1 बारानी–1 बारानी–1 बारानी–1	
	योग	किता–06	3.1994		
2	रामचन्द्र पुत्र हरिनारायण हि. पूर्ण जाति कुमावत राहिन हि. 10620/13939 कॉपोरिशन बैंक शाखा आसलपुर सा. देह खातेदार	A/681 B/682 A/680 B/684 B/671	0.4276 0.1845 0.1443 0.4170 0.2205	बारानी–1 बारानी–1 बारानी–1 बारानी–1 बारानी–1	
	योग	किता 05	1.3939		
3	कविता पुत्री झूंथाराम हि.1/18 पोखरमल पुत्र झूंथाराम हि. 1/18 रामलाल पुत्र झूंथाराम हि. 1/18 संजय पुत्र झूंथाराम हि. 1/18 सीता पत्नि झूंथाराम हि. 1/18 हरिश पुत्र झूंथाराम हि. 1/18 लादूराम पुत्र दौलतराम हि. 1/3 शंकरलाल पुत्र दौलतराम हि. 1/3 जाति कुम्हार (प्रजापति)सा. देह खातेदार	672 676 677 678 C/671	0.3667 1.2139 0.3035 0.3794 0.9358	बारानी–1 बारानी–1 बारानी–1 बारानी–1 बारानी–1	
	योग	किता–5	3.1993		
4	रामचन्द्र पुत्र भूरा हि.16722/50041 जाति जाट सा. देह खातेदार किशनलाल पुत्र रामकरण हि. 33319/250205 राहिन हि. 33319/250205 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बोराज जगदीश प्रसाद पुत्र रामकरण हि. 33319/250205 राहिन हि. 33319/250205 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बोराज नारायणलाल पुत्र रामकरण हि. 33319/250205 राहिन हि. 33319/250205 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बोराज सकरामा पुत्र रामकरण हि. 33319/250205 राहिन हि. 33030/250205 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बोराज लक्ष्मण चौधरी पुत्र रामकरण हि. 33319/250205 जाति जाट सा. देह खातेदार	670 D/671 B/681 B/680 B/686	0.8219 1.9508 0.5714 1.1834 0.4766	बारानी–1 बारानी–1 बारानी–1 बारानी–1 बारानी–1	
	योग	किता–05	5.0041		

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

वादीगण का वाद मुताबिक कुरेजात दिनांक 24.09.2024 के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार जोबनेर को आदेश दिये जाते हैं कि मुताबिक डिक्री कुरेजात राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार के द्वारा बैंक के पक्ष में रहन रखे गये हिस्से को उसके खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। बैंक का रहन खातेदारों के नाम यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री तहरीर जारी की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2024 को टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/10/2024

(मुकुट सिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)